वर्ष 28 अंक 206
पृष्ठ 22+4=26
लखनऊ, शनिवार
8 अप्रैल 2017
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 4.00

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

तय की मेडिकल कालेजों की फीस

राब्यू, लखनऊ : योगी सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली पर अंकुश की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। एमडी, एमएस की अधिकतम फीस निर्धारित कर दी है। निर्धारित से अधिक फीस लेने वाले कालेजों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ.अनिता भटनागर जैन की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि निजी कॉलेजों के साथ छह चक्रों की विस्तृत चर्चा के बाद फीस निर्धारित की गई है। निजी कॉलेज एमडी (नॉन क्लीनिकल) की डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 8.58 लाख से 11.14 लाख रुपए के बीच फीस ले सकेंगे। ऐसे ही एमडी व एमएस के छात्रों से 15.95 लाख से 20.70 लाख रुपए तक फीस ली जा सकेगी। एमडीएस (मास्टर आफ डेंटल सर्जन) पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों से 4.91 लाख से 8.05 लाख रुपए तक फीस ली जा सकेगी।